18.11.2025

लोक अभियोजक श्री जे.पी.शर्मा उपस्थित। अभियुक्त कालू उर्फ राजू अनुपस्थित, जिसकी आज की हाजरी माफी का प्रार्थना–पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामरतन गुर्जर पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 30.06.2025 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क पेश किया गया कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी शीलू कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध होनी है, इस पर अभियोजन पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर हुआ है कि प्रकरण के परिवादी द्वारा वक्त घटना बालश्रम करते हुए अपने मोबाईल से वीडियोग्राफी की गई थी, की सी.डी. को अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये फर्द पेशकशी सीडीआर के दिनांक 16.01.2025 को जब्त किया गया था, जिसकी मूल फर्द सहवन से आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है, जो प्रकरण का महत्वपूर्ण दस्तावेजात है। अतः मूल फर्द पेशकशी सीडीआर को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए, तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र के माध्यम से जिस फर्द पेशकशी सीडीआर को पेश करना चाहता है वह केवल मात्र अनुसंधान के दौरान रही कमियों की पूर्ति करना मात्र है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किया गया है जिसका कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपित अपराध के संबंध में आरोपित स्थल देव नारायण मिष्ठान भण्डार एवं स्वीस्टस एवं नमकीन पर बाल श्रमिक से बाल श्रम करवाते समय की परिवादी द्वारा सीडी बनाई गई थी, जिसे परिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, जिसकी फर्द अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी, जो सहवन से आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय पत्रावली में सलग्न नहीं की गई है, जिसे लोक अभियोजक द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। पेश किया गया दस्तावेज फर्द पेशकशी एक सीडीआर है जिससे संबंधित डीवीडी पूर्व में प्रदर्श 7 के रूप में प्रदर्शित करवाया जा चुका है। अतः उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायसंगत विनिश्चय के लिये अत्यन्त आवश्यक दस्तावेज है। अनुसंधान अधिकारी शीलू कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने से

अधिवक्ता अभियुक्त को उक्त दस्तावेज के संबंध में संबंधित साक्षी से प्रति परीक्षण का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त इसके खण्डन में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश करना चाहे तो वह पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 30.06.2025 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज फर्द पेशकशी एक सीडीआर को रिकार्ड पर लिया जाता है। साक्ष्य सूची के गवाह संख्या 1 ए को जरिये सम्मन तथा 6 व 7 को जरिये जमानती वारंट एक हजार रूपये से आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.11.2025 के लिये तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 27.11.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर।